बिजयनंद पटनायक

बनाम

शत्रुघ्न साहू और अन्य

(ए. के. सरकार, के. एन. वांचू और

के. सी. दास गुएरा जेजे.)

चुनाव दंड- उच्च न्यायालय में अपील- प्रक्रिया- अपील को वापस लेना, यदि अनुमत हो- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1931 का 43), धारा 109, 710, 116- ए- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5),0. XXIII, आर. 1 (आई)।

एक एस ने अपीलकर्ता के खिलाफ एक चुनाव याचिका दायर की, जिसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। अपीलकर्ता ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1953 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए धारा 90 (3) के तहत याचिका को खारिज करने के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन किया। न्यायाधिकरण ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और चुनाव याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद 116- ए के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई। इसके बाद, एस ने अपील को वापस लेने के लिए आवेदन किया लेकिन उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि इसे धारा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

अभिनिर्धारित किया एस को अपील वापस लेने का आत्यन्तिक अधिकार था और उच्च न्यायालय उसे ऐसा करने की अनुमति देने के लिए बाध्य था। अधिनियम की खंड

116- ए (2) में प्रावधान है कि 'इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए' उच्च न्यायालय के पास खंड के तहत एक अपील में समान शक्तियां, अधिकार क्षेत्र और अधिकार होंगे और वह उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसे कि अपील किसी दीवानी न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से अपील थी। उपखंडों (2) में "इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन" शब्द हैं इसका अर्थ है कि प्रावधान अधिनियम में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जो एक स्पष्ट प्रावधान से आवश्यक निहितार्थ से उत्पन्न होता है। तदनुसार धारा 109 और 110, जो चुनाव याचिकाओं को वापस लेने से संबंधित है, अधिनियम की धाराओं 116-ए के तहत अपील पर लागू नहीं होती है। अधिनियम में अपीलों से संबंधित कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो अपीलों को वापस लेने के प्रश्न से संबंधित है और इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष सामान्य दीवानी अपीलों पर लागू वापसी के संबंध में प्रावधान धारा 116-ए 38 के तहत, आर. 1(1), सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलों पर लागू होते हैं। एक अपीलकर्ता को अपनी अपील को बिना शर्त वापस लेने का अधिकार है और यदि वह ऐसा आवेदन करता है तो उच्च न्यायालय को इसे मंजूर करना होगा। इसलिए, जब अधिनियम की धारा 116-ए के तहत एक अपीलकर्ता अपील को बिना शर्त वापस लेने के लिए आवेदन करता है, उच्च न्यायालय को इसे मंजूर करना चाहिए।

कल्याण सिंह बनाम रहेमे, एलएलआर (1901) 23 सभी 130; कन्हैयालाल बनाम प्रताप चंद, (1931) 29 ए. एल. जे. 232 और धोंडो नारायण शिरालकर बनाम अन्नाजी पांडुरंग कोकलनूर, आई. एल. आर. (1939) बोम 66 का उल्लेख किया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः दीवानी याचिका सं 603/1962

उड़ीसा उच्च न्यायालय के विविध अपील सं. 112/1961 में 28 मार्च, 1962 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

एम. सी. सीतलवाड़, राणादेब चौधरी, एम. के. बनर्जी, एन. एंडले और रामेश्वर नाथ, अपीलकर्ता की ओर से।

आर. गोपालकृष्णन, प्रतिवादी नं. 2 की ओर से।

26 मार्च 1963

न्यायालय का निर्णय वंचू जे. द्वारा दिया गया था।

यह उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है। अपीलकर्ता कटक जिले के चौद्वार निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के चुनाव के लिए खड़ा हुआ। उनका विरोध तीन व्यक्तियों ने किया जो हमारे सामने प्रतिवादी हैं। अपीलकर्ता का चुनाव किया गया। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1, शत्रुघ्न साहू द्वारा एक चुनाव याचिका दायर की गई। इस चुनाव याचिका के लिए, अपीलकर्ता के रूप में साथ ही चुनाव के लिए खड़े होने वाले अन्य दो उम्मीदवारों को विरोधी दल बनाया गया था। जब चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई तो न्यायाधिकरण के समक्ष आपत्ति जताई गई कि याचिका धारा 82 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित), के अनुसार नहीं थी और यह कि यह दोष याचिका के लिए धारा 90 (3) के तहत घातक था। इस आपत्ति को प्रारंभिक आपत्ति के रूप में सुना गया और न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिका धारा 82, के अनुसार नहीं बनाई गई थी, दोष घातक था। इसलिए उसने याचिका खारिज कर दी।

शत्रुघ्न साहू ने तब अधिनियम की धारा 116-ए के तहत उच्च न्यायालय में अपील की। इस अपील पर 5 और 6 मार्च, 1962 को सुनवाई हुई और जाहिर तौर पर 8 मार्च, 1962 को फैसले के लिए तय किया गया था। 7 मार्च को सत्रुघन साहू द्वारा अपील वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, क्योंकि वह इस पर आगे

मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे। इसे 8 मार्च, 1962 को विचार- विमर्श के लिए रखा गया था और मुख्य अपील में निर्णय, जो पहले से ही वितरण के लिए तैयार किया जा चुका था, इसलिए वापसी आवेदन के निपटारे तक रोक दिया गया था। शत्रुघ्न साहू की ओर से तर्क यह था कि वह अधिकार के रूप में हकदार था। अपील दायर की। अपीलकर्ता ने इसमें उनका समर्थन किया लेकिन अन्य दो प्रतिवादी ने वापस लेने पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि शत्रुघ्न साहू को ओ. XXIII. आर. के सादृश्य पर अपील वापस लेने का कोई आत्यन्तिक अधिकार नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता, और वे सिद्धांत जो अधिनियम की धारा 109 और धारा 110 के अनुरूप हैं, ने अपील को वापस लेने के लिए एक आवेदन पर आवेदन किया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसे अधिनियम की धारा 09 और धारा 110 में निहित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। जब उसके समक्ष अपील को वापस लेने के लिए एक आवेदन पर विचार किया जाता है। इसलिए इसने इस बात पर विचार किया कि क्या शत्रुघ्न साहू को अपील वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें ऐसी अनुमति नहीं देने का फैसला किया। अंत में इसने आदेश दिया कि हालांकि वापस लेने के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था, लेकिन चुनाव याचिका वापस लेने के प्रश्न के निपटारे के लिए विपक्ष में दायर सभी जवाबी- हलफनामों के साथ वापस लेने के आवेदन को जीवित रखा जाए।

न्यायाधिकरण द्वारा, यह आदेश 28 मार्च, 1962 को पारित किया गया था, और फिर उच्च न्यायालय ने उसी दिन मुख्य अपील में निर्णय देने के लिए आगे बढ़े और चुनाव याचिका को खारिज करने वाले चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया गया, और याचिका को कानून के अनुसार निपटान के लिए भेज दिया गया।

अपीलकर्ता ने तब इस न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र के लिए दो आवेदन किए, जिन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने इस न्यायालय के

समक्ष विशेष अनुमति के लिए दो याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया और दो अपीलों के परिणामस्वरूप एक वापस लेने के आवेदन के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ और दूसरी मुख्य अपील के मामले में। वर्तमान अपील वापस लेने के आवेदन के संबंध में है, और हमारे सामने अपीलकर्ता का तर्क दो गुना है। सबसे पहले यह आग्रह किया जाता है कि सत्रुघ्न साहू, जो उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलकर्ता थीं, को ओ. XXIII आर. 1 (1) में निहित प्रावधान के सादृश्य पर अपील वापस लेने का आत्यन्तिक अधिकार था और उच्च न्यायालय ने उन सिद्धांतों को अधिनियम की धारा 109 और 110 धारा के अनुरूप ठहराने में त्रुटि की थी, अधिनियम की धारा 116- ए के तहत दायर अपील को वापस लेने के लिए लागू होती है और इसलिए वापसी आवेदन दायर किए जाने के बाद उच्च न्यायालय के पास वापसी की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरे स्थान पर, यह आग्रह किया जाता है कि भले ही उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही था, लेकिन अधिनियम की धारा 109 और धारा 110 में निर्दिष्ट सभी मामलों पर विचार करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य था और अपने लिए निर्णय लें कि क्या वापस लेने के लिए आवेदन दिया जाना चाहिए और यह उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था कि वह अपील को वापस लेने के लिए आवेदन को इस तरह परिवर्तित करे जैसे कि यह चुनाव याचिका को वापस लेने के लिए एक आवेदन था और इसे चुनाव न्यायाधिकरण के लिए भेजा जाए।

इसलिए पहला सवाल जो विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या वापस लेने का आवेदन करने वाले शत्रुघ्न साहू को ओ. XXIII आर. 1 (1) में निहित प्रावधान के सादृश्य पर अपील वापस लेने का आत्यन्तिक अधिकार था और इसलिए जब इस मामले में वापस लेने के लिए आवेदन किया गया था, तो उच्च न्यायालय इसे अनुमति देने और अपील को वापस लेने की अनुमति देने के लिए बाध्य था। 1956 में

अधिनियम में खंड 116-ए डाली गई थी और इसका प्रासंगिक भाग इन शब्दों में है:–

"116 ए. चुनाव न्यायाधिकरणों के आदेशों के खिलाफ अपील (1) प्रत्येक से एक अपील होगी। राज्य के उच्च न्यायालय को खंड 98 या खंड 99 के तहत एक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया आदेश जो न्यायाधिकरण स्थित है।

(2) उच्च न्यायालय के पास, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, समान शक्तियां, अधिकार क्षेत्र और अधिकार होंगे, और इस अध्याय के तहत अपील के संबंध में उसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसे कि अपील अपने दीवानी अपीलीय अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित दीवानी न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से अपील थीः

बशर्ते कि जहां उच्च न्यायालय में दो से अधिक न्यायाधीश होते हैं, वहां प्रत्येक अपील के तहत इस अध्याय की सुनवाई कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी।

(3) इस अध्याय के तहत प्रत्येक अपील खंड 98 या खंड 99 के तहत न्यायाधिकरण के आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी।

बशर्ते कि उच्च न्यायालय उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है। तीस दिनों के लिए यदि यह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास पसंद नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था। ऐसी अवधि के भीतर अपील करें।

(4) जहां खंड 98 या खंड 99 के खंड (ख) के तहत किए गए स्थगन आदेश के खिलाफ अपील की गई है, वहां उच्च न्यायालय, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, अपील किए गए स्थगन आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है और ऐसे मामले में स्थगन आदेश खंड 107 की उप-खंड (1) के तहत कभी प्रभावी नहीं हुआ माना जाएगा, और रोक स्थगन आदेश की एक प्रति उच्च न्यायालय द्वारा तुरंत चुनाव आयोग और संसद

के सदन या संबंधित राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष या अध्यक्ष को भेजी जाएगी।

(5) प्रत्येक अपील पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा और उच्च न्यायालय में अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर इसे अंतिम रूप से निर्धारित करने का प्रयास किया जाएगा।

(6)....."

यह देखा जाएगा कि अपीलों के बारे में प्रावधान अध्याय IV ए. में है। अधिनियम का जबकि चुनाव याचिका को वापस लेने और उपशमन के विषय पर अध्याय IV ए. जिसमें धारा 109 और 110 होते हैं में चर्चा की गई है। धारा 116 ए, के तहत अपील वापस लेने के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियों से निपटने से पहले हम अध्याय IV, जिसमें धारा 108, 116 शामिल है, योजना का उल्लेख कर सकते हैं। चुनाव याचिकाओं को वापस लेने और उपशमन से संबंधित खंड 108 में प्रावधान है कि "एक चुनाव याचिका को केवल चुनाव आयोग की अनुमति से वापस लिया जा सकता है यदि ऐसी याचिका की सुनवाई के लिए किसी न्यायाधिकरण के समक्ष इसे वापस लेने के लिए आवेदन किया जाता है। न्यायाधिकरण की नियुक्ति के बाद याचिकाओं को वापस लेने का प्रावधान करती है और यह प्रावधान करती है कि ऐसे मामले में चुनाव याचिका को केवल न्यायाधिकरण की अनुमति से वापस लिया जा सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां न्यायाधिकरण के समक्ष वापस लेने के लिए आवेदन किया जाता है, वहां आवेदन की सुनवाई की तारीख निर्दिष्ट करने वाला नोटिस याचिका के अन्य सभी पक्षों को दिया जाएगा और इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। खंड 110 में चुनाव आयोग या न्यायाधिकरण और उपधारा (2) आयोगों के समक्ष प्रक्रिया या याचिकाओं को वापस लेने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि "वापस लेने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया जाएगा यदि चुनाव आयोग या

न्यायाधिकरण की राय में, जैसा भी मामला हो, ऐसा आवेदन किसी सौदेबाजी या विचार से प्रेरित किया गया है जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।" उप- धारा (3) में यह प्रावधान है कि यदि वापस लेने के लिए आवेदन दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता को प्रतिवादी की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा, जो पहले किया गया था या उसके ऐसे हिस्से का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा, जिसे न्यायाधिकरण उचित समझे; वापस लेने की आगे की सूचना चुनाव आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और अंत में कोई भी व्यक्ति जो स्वयं एक याचिकाकर्ता हो सकता है, ऐसे प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर, वापस लेने वाले पक्ष के स्थान पर और धारा 117 की शर्तों के अनुपालन पर याचिकाकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित होने के लिए आवेदन कर सकता है। प्रतिभूति के संबंध में, इस प्रकार प्रतिस्थापित होने और ऐसी शर्तों पर कार्यवाही जारी रखने का हकदार होगा जो न्यायाधिकरण उचित समझे। खंड 111 में न्यायाधिकरण द्वारा चुनाव आयोग को वापस लेने की रिपोर्ट का प्रावधान है। धारा 112 से 116 एकमात्र याचिकाकर्ता की मृत्यु पर चुनाव याचिकाओं के उपशमन से संबंधित है- सरकारी राजपत्र में उपशमन की सूचना के प्रकाशन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, और धारा 115 में यह प्रावधान है कि ऐसी सूचना पर, कोई भी व्यक्ति जो स्वयं याचिकाकर्ता हो सकता है, ऐसे प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर, याचिकाकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित होने के लिए आवेदन कर सकता है और धाराओं 111 की शर्तों का पालन कर सकता है। जहाँ तक प्रतिभूति का संबंध है, वह इस प्रकार प्रतिस्थापित होने और ऐसी शर्तों पर कार्यवाही जारी रखने का हकदार होगा जो न्यायाधिकरण उचित समझे, धारा 112-116 एकल प्रतिवादी की मृत्यु के मामले में इसी तरह का प्रावधान करती है। यह इन प्रावधानों से अध्याय IV में देखा जाएगा कि 'चुनाव याचिका' में याचिकाकर्ता को इसे वापस लेने का आत्यन्तिक अधिकार नहीं है और न ही प्रतिवादी को कुछ

परिस्थितियों में याचिका का विरोध करने से पीछे हटने का आत्यन्तिक अधिकार है। चुनाव याचिकाओं को वापस लेने के संबंध में इस विशेष प्रावधान का आधार इस सुस्थापित सिद्धांत में पाया जाता है कि एक चुनाव याचिका ऐसा मामला नहीं है जिसमें केवल इच्छुक व्यक्ति ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव में एक- दूसरे के खिलाफ प्रयास किया हो। निर्वाचन क्षेत्र की जनता भी इसमें काफी रुचि रखती है, क्योंकि चुनाव इसका एक अनिवार्य हिस्सा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया: यही कारण है कि चुनाव कानून में पार्टियों के पीछे हटने के अधिकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया है। इस तरह के प्रावधान का एक अन्य कारण यह है कि बड़े पैमाने पर नागरिकों को देखने में रुचि है और वे इस बात पर जोर देना उचित मानते हैं कि सभी चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हैं और भ्रष्ट या अवैध प्रथाओं से दूषित नहीं हैं। यही कारण है कि चुनावों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए याचिका दायर आदेशने वाले किसी भी मतदाता को प्रतिस्थापित आदेशने का प्रावधान किया गया है [कामराजा नादर बनाम कुंजू थेवर देखें]। साथ ही, हालांकि ये सिद्धांत अधिनियम का चौथा अध्याय में पाए जाने वाले प्रावधानों का आधार हैं। यह समान रूप से स्पष्ट है कि लेकिन इन प्रावधानों के लिए एक याचिकाकर्ता के लिए चुनाव याचिका को पूरी तरह से वापस लेना संभव हो सकता हैः खंड 90 (1) में प्रावधान है कि "इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, प्रत्येक चुनाव याचिका का मुकदमा न्यायाधिकरण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत लागू प्रक्रिया के अनुसार, जितना हो सके, किया जाएगा। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, ओ. XXIII आर.1 (1) न्यायाधिकरण के समक्ष एक चुनाव याचिका पर भी आवेदन किया होगा, लेकिन अध्याय IV में निहित प्रावधानों के लिए ऐसा इसलिए है क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों और ओ. XXIII आर. 1 (1) के तहत बनाए गए नियमों के अधीन चुनाव याचिकाओं पर लागू होते हैं। धारा 108-111 तक को देखते हुए

चुनाव याचिकाओं को वापस लेने पर लागू नहीं किया जा सकता है लेकिन इन विशेष प्रावधानों के लिए, ओओ XXIII,आर. 1(1) लागू होता और यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वह प्रावधान अभियोक्ता को अपना मुकदमा वापस लेने या अपने दावे के किसी भी हिस्से को परित्याग करना का आत्यन्तिक अधिकार देता है।

चुनाव याचिका वापस लेने के संबंध में यह स्थिति विवाद में नहीं है। हालाँकि सवाल यह है कि क्या वही स्थिति अपील वापस लेने पर लागू होती है और यह हमें अधिनियम कि धारा 116 ए के प्रावधानों पर विचार करने के लिए लाती है, जिन्हें हम पहले ही ऊपर निर्धारित कर चुके हैं। उस खंड (2) के तहत अपील के संबंध में उच्च न्यायालय की शक्तियां उप- खंडओं में निहित हैं जो यह निर्धारित करता है कि "उच्च न्यायालय के पास, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, समान शक्तियां, अधिकार क्षेत्र और अधिकार होंगे, और इस अध्याय के तहत अपील के संबंध में उसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसे कि अपील अपनी दीवानी अपीलीय अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित एक दीवानी न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से अपील थी। "उप-धारा (2) इसलिए उच्च न्यायालय को सभी शक्तियां प्रदान करता है और उसे उसी प्रक्रिया का पालन करने का आदेश देता है जो मुकदमों में मूल डिक्री से अपील के मामले में होती है। यह सच है कि उप-धाराओं (2) के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तिया अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं। इस न्यायालय को टी के गंगी रेड्डी बनाम एम. सी. अंजनेय रेड्डी में इस मामले पर विचार करने का अवसर मिला था और तर्क के संबंध में कि उच्च न्यायालय को साक्ष्य की सराहना पर आए तथ्य के प्रश्नों पर चुनाव न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को दरकिनार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उस संबंध में इस न्यायालय ने धारा 116 ए की उप- धाराओं (2) के संबंध में टिप्पणी की कि "यह स्पष्ट था कि अपीलों के निपटारे में उच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र मूल फरमानों से अपीलों के निपटारे के समान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन था और न्यायालय के ध्यान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया गया है जिसने उस अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया हो। इसलिए जब कोई अपील दायर की जाती है तो पूरा मामला अपीलीय अदालत में फिर से खोल दिया जाता है। स्पष्ट रूप से, इसलिए, जब उप-धारा (2) यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र और अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं, इसका अर्थ है कि प्रावधान अधिनियम में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जो एक स्पष्ट दृष्टिकोण से आवश्यक निहितार्थ से उत्पन्न होता है, ऐसा एक स्पष्ट प्रावधान उप- प्रावधानों (2) ओ.एस. 116 ए, के परंतुक में पाया जाना है जो यह निर्धारित करता है कि "जहां उच्च न्यायालय में दो से अधिक न्यायाधीश होते हैं, इस अध्याय के तहत प्रत्येक अपील की सुनवाई कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी।" एक अन्य स्पष्ट प्रावधान उप- खंडों (4) में पाया जाता है जो उच्च न्यायालय को अपील किए गए आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने की स्पष्ट शक्ति देता है और यह प्रावधान करता है कि जहां ऐसा स्थगन आदेश दिया जाता है, वहां अपील किया गया आदेश धारा 107 की उप-धाराओं (1) फिर से उप-धारा (5) के तहत कभी प्रभावी नहीं समझा जाएगा। उच्च न्यायालय को इस निर्देश के साथ अपील पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का आदेश देता है कि इसे यथासंभव तीन महीने के भीतर अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। हालाँकि, अध्याय IV- ए में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अपीलों से संबंधित है, जो उस अध्याय के तहत अपीलों को वापस लेने के प्रश्न से संबंधित है न ही हम ऐसा सोचते हैं। 109 और 110 अनिवार्य रूप से इंगित करता है कि एक अपील को भी अधिकार के मामले के रूप में वापस नहीं लिया जा सकता है, जब तक कि उन धाराओं में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, इस दृष्टिकोण का एक कारण तुरंत बताया जा सकता है। हारने वाला पक्ष अपील दायर करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो किसी और को ऐसा करने का अधिकार

नहीं है। जाहिरा तौर पर उद्देश्य यह है कि दायर की गई चुनाव याचिका, यदि कोई मतदाता चाहता है, तो सुनी जानी चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की मृत्यु पर प्रतिस्थापन से संबंधित धाराएँ 112-115 इस दृष्टिकोण की ओर ले जाती हैं कि अपील के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यदि संसद का इरादा है कि धारा 109 और 110 के प्रावधान जो किसी न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव याचिकाओं को वापस लेने से संबंधित हैं, वे अध्याय IV-ए के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को वापस लेने पर भी लागू होंगे। उस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट प्रावधान आसानी से किया जा सकता था। धारा 109 और 110 के 116-ए खंड में एक उपयुक्त प्रावधान जोड़कर जो धारा के प्रावधान हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को वापस लेने पर लागू होंगे क्योंकि वे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव याचिकाओं को वापस लेने पर लागू होते हैं। अध्याय IV- ए में इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति में हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय धारा 109 और 110 के सिद्धांतों का आयात करने में सही था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को वापस लेने के मामले में अतः जहाँ तक अध्याय 4-क के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को वापस लेने के प्रश्न का संबंध है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वापस लेने के मामले में उच्च न्यायालय के पास वही शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र और अधिकार हैं जो धारा 109 और 110 के कारण ऐसी शक्तियों पर किसी सीमा के बिना अपने दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर एक दीवानी न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से अपील को वापस लेने के मामले में होंगे। इस प्रकार उच्च न्यायालय के पास समान शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र और अधिकार हैं और उसे अपीलों को वापस लेने के मामले में समान प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। 116- ए के रूप में उसके समक्ष एक मूल डिक्री से अपील के मामले में, अधिनियम की धारा 109 और धारा 110 के सादृश्य पर मामले में कोई सीमा आयात करने के लिए कोई वारंट नहीं है जो स्पष्ट रूप से केवल विच्छेदन

याचिकाओं के साथ व्यवहार करती है न कि धाराओं के तहत अपीलों के साथ।

इसलिए आइए देखें कि उच्च न्यायालय के पास अपने समक्ष एक मूल डिक्री से अपील वापस लेने के मामले में क्या शक्तियां हैं और उस संबंध में उसे किस प्रक्रिया का पालन करना है। मुकदमों को वापस लेने से संबंधित संहिता के प्रावधान ओ. XXIII आर. 1 में पाए जाते हैं, इसके उप- नियम (1) में कहा गया है कि मुकदमा शुरू होने के बाद किसी भी समय अभियोक्ता, सभी या किसी भी प्रतिअभियोक्ता के खिलाफ, अपना मुकदमा वापस ले सकता है या अपने दावों के कुछ हिस्से को परित्याग करना सकता है। उप- नियम (2) में प्रावधान है कि "जहां न्यायालय का समाधान होता है कि (क) कोई मुकदमा किसी औपचारिक दोष के कारण विफल होना चाहिए, या (ख) अभियोक्ता को किसी मुकदमा के विषय या दावे के हिस्से के लिए एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए अन्य पर्याप्त आधार हैं, तो वह अभियोक्ता को ऐसे मुकदमे से पीछे हटने की अनुमति दे सकता है या ऐसे मुकदमे के विषय या दावे के ऐसे हिस्से के संबंध में एक नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ दावे के ऐसे हिस्से को परित्याग करना सकता है।" हम पहले ही कह चुके हैं कि उपनियम(1) अभियोक्ता को अपना मुकदमा वापस लेने या सभी या किसी भी प्रतिअभियोक्ता के खिलाफ अपने दावे के हिस्से को परित्याग करने की आत्यन्तिक शक्ति देता है, और जहां ओ. XXIII, आरआर 1(1), के तहत मुकदमा वापस लेने के लिए आवेदन किया जाता है। न्यायालय को उस आवेदन की अनुमति देनी होगी और मुकदमा वापस ले लिया जाएगा। यह केवल उप- नियम {2) के तहत है जहां एक मुकदमा आत्यन्तिक रूप से वापस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इस शर्त पर वापस लिया जा रहा है कि अभियोक्ता को उसी विषय के लिए एक नया मुकदमा स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है- इस तरह की वापसी के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक है, ओ. XXIII r के प्रावधान 1(1) और (3) अपीलों को वापस लेने के लिए भी इसी तरह से लागू होता

है। कल्याण सिंह बनाम रहमू में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां प्रत्यर्थी द्वारा कोई आपत्ति दायर नहीं की गई थी, अपीलकर्ता को निर्णय से पहले किसी भी समय अपनी अपील वापस लेने का आत्यन्तिक अधिकार था। इस दृष्टिकोण का पालन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोंकये लाल बनाम प्रताप चंद मामले में किया, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ओ. XXIII आर. 1 (1) और धारा 107 (2) के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, जहां प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रति- आपत्ति दायर नहीं की गई है, एक अपीलकर्ता को अपनी अपील को बिना किसी शर्त के वापस लेने का अधिकार है, उसका एकमात्र दायित्व लागत का भुगतान करना है। डखोंडो नारायण शिरालकर बनाम अन्नाजी पांडुरंग कोकटनूर (3) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "एक अपीलकर्ता अपनी अपील वापस लेने के अधिकार का हकदार है, बशर्ते कि प्रतिवादी ने इसके तहत कोई ब्याज प्राप्त नहीं किया हो। "इलाहाबाद और बंबई उच्च न्यायालयों के बीच इस बात को लेकर कितना अंतर था कि क्या 107 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता ऐसे मामले में एक अपीलकर्ता की मदद करेगी। [हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए यह तय करना अनावश्यक है कि क्या अपीलकर्ता का बिना शर्त अपील वापस लेने का आत्यन्तिक अधिकार धारा 107 (2) या ओ, XXII आर 1(1) से प्रवाहित होता है, के सादृश्य पर अपीलकर्ता का एक अंतर्निहित अधिकार है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक अपीलकर्ता को अपनी अपील को बिना शर्त वापस लेने का अधिकार है और यदि वह अदालत में ऐसा आवेदन करता है, तो उसे इसे मंजूर करना होगा। किसी भी प्रति- आपत्ति से उत्पन्न होने वाली कठिनाई, जिसके तहत प्रतिवादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए अनुसार ब्याज प्राप्त किया होगा, अब ओ. एक्स. एल. आई. आर. 22 (4) में नहीं रहती है जो अब अपील वापस लेने के बावजूद प्रति- आपत्ति की सुनवाई की अनुमति देता है। इसलिए जब उच्च न्यायालय एक मूल डिक्री से अपील की सुनवाई कर रहा है और बिना शर्त अपील को वापस लेने के लिए एक

आवेदन किया जाता है, तो उसे लागत के अधीन इस तरह की वापसी की अनुमति देनी चाहिए और यह कहने की कोई शक्ति नहीं है कि वह अपील को वापस लेने की अनुमति नहीं देगा और अपील की सुनवाई जारी रखेगा। धारा 116ए (2) के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति जब एक चुनाव याचिका से अपील की सुनवाई एक मूल डिक्री से अपील की सुनवाई करते समय इसकी शक्ति के समान होती है, और प्रक्रिया भी समान होती है, क्योंकि अधिनियम में एक अपील को वापस लेने के मामले में इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए जब धारा 116- ए के तहत कोई अपीलकर्ता अपील को बिना शर्त वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उच्च न्यायालय की शक्ति, मूल डिक्री से अपील में अपनी शक्ति के साथ, इस तरह की वापसी की अनुमति देना है, और यह नहीं कह सकता है कि वह अपील को वापस लेने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए हमारी राय है कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 109 और धारा 110 धारा के सिद्धांतों को आयात करने में त्रुटि में था। जो केवल चुनाव याचिकाओं को वापस लेने से संबंधित है और अपीलों को वापस लेने से संबंधित नहीं है।

यह आग्रह किया गया है कि इस दृष्टिकोण से एक अपील को वापस लिया जा सकता है, भले ही वापसी सौदेबाजी या विचार से प्रेरित हो, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यह चुनाव की शुद्धता में हस्तक्षेप करेगा। जैसा कि अधिनियम में कहा गया है, ऐसा लगता है कि इरादा यह था कि वापसी और उपशमन के बारे में प्रावधान किसी याचिका पर तभी लागू होंगे जब यह या तो आयोग या न्यायाधिकरण के समक्ष है। यह उद्देश्य हो सकता है कि केवल एक कार्यवाही विशेष रूप से प्रदान की जानी चाहिए और जो चुनावों की शुद्धता को सुनिश्चित करेगी। यदि यह इरादा था कि धारा 109 और 110 को उस अपील पर भी आवेदन करना चाहिए जिसके लिए धारा 116- ए, द्वारा प्रावधान किया गया था। उस इरादे को उचित भाषा द्वारा प्रभाव नहीं दिया गया है। किसी भी मामले में, स्थिति वैसी नहीं होती है जब किसी अपील को वापस

लिया जा रहा हो क्योंकि सामान्य रूप से उस स्तर पर न्यायाधिकरण के समक्ष एक मुकदमा हुआ है जो सामान्य रूप से ऐसी शुद्धता की रक्षा करेगा। इसलिए हम धारा 109 और 110 के सिद्धांतों को आयात करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। इस आधार पर अपीलों को वापस लेने के लिए इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को अपने समक्ष अपीलकर्ता शत्रुघ्न साहू द्वारा किए गए बिना शर्त वापस लेने के आवेदन को अनुमति देनी चाहिए थी। इसके अलावा इस संबंध में उच्च न्यायालय को अपने समक्ष अन्य दो पराजित उम्मीदवारों की ओर से दायर हलफनामों को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऐसे हलफनामे अप्रासंगिक थे, यदि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता शत्रुघ्न साहू अपील को बिना शर्त वापस लेने के हकदार थे और उच्च न्यायालय इस तरह की वापसी से इनकार नहीं कर सकता था।

जिस दृष्टिकोण से हमने अपने समक्ष उठाए गए पहले प्रश्न पर विचार किया है, दूसरे प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है, हालांकि हम यह जोड़ सकते हैं कि जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने अपील को वापस लेने के लिए आवेदन को इस तरह लेने में गलती की थी जैसे कि यह धारा 109 के तहत एक चुनाव याचिका को वापस लेने के लिए एक आवेदन था और मामले को चुनाव न्यायाधिकरण को संदर्भित करते हुए, भले ही उच्च न्यायालय के पास अपील को वापस लेने के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करने की शक्ति हो, उच्च न्यायालय के लिए उचित पाठ्यक्रम उन सभी पर विचार करना होगा जो धारा 110 स्वयं द्वारा आवश्यक हैं। लेकिन पहले प्रश्न पर हमारे निर्णय को देखते हुए हमें इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हैं और सत्रुघ्न साहू द्वारा वापस लेने के लिए किए गए बिना शर्त आवेदन को देखते हुए, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता आदेश देता है कि उच्च न्यायालय के

समक्ष अपील के साथ खड़ी होनी चाहिए। इन परिस्थितियों में बिना किसी लागत, हम कोई आदेश पारित नहीं करते हैं।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।